



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-18-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दो अभियुक्त अनुप कुमार व सतीश कुमार वर्मा को मारपीट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष की सजा व कुल- 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 16/1994 धारा-323, 324भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1. अनुप कुमार वर्मा व सतीश कुमार वर्मा पुत्रगण वंशीलाल निवासीगण सी-22/96 कबीर चौरा वाराणसी को थाना-चेतगंज पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 323 में 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 500 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 324 भादवि में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी